October - December, 2021

Rajasthan Police Academy
News Letter

इस अंक में .....

- पुलिस शहीद दिवस समारोह
- राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों का **MCTP** कोर्स
- भारतीय पुलिस सेवा के चार अधिकारियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण कोर्स
- राजस्थान पुलिस अकादमी के अधिकारियों को डी.जी.पी डिस्क
- बाल सरंक्षण पर कोटा रेंज स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- महिला शारीरिक शिक्षको को आत्म रक्षा का प्रशिक्षण

निदेशक की कलम से ....

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा विगत समय में महिला सशक्तीकरण एवं बाल संरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर निरन्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए है। इस कडी में महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें उन्हें महिलाओं से जुडे मुद्दों पर कानूनी जानकारी दिए जाने के साथ साथ आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों की व्यावहारिक जानकारी दी गई।

महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के अनुसंधान अधिकारियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम (Investigatrors on Women Safety) भी आयोजित किए गए। महिलाओं से संबंधित अपराधों के अनुसंधान के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा एक मार्गदर्शिका भी जारी की गई है।

राजस्थान पुलिस को फील्ड में मध्यम स्तर पर नेतृत्व देने वाले राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियो का Mid Career Training Programme आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों को तकनीकी, प्रबन्धकीय एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया गया।

बाल सरंक्षण मुद्दों पर कोटा रेंज में रेंज स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। न्यायिक अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों एंव पुलिस अधिकारियो के लिये CCPWC योजना के तहत साईबर अपराधों पर अनवरत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है।

राजस्थान पुलिस अकादमी में रिसर्च को बढावा देने के उद्देश्य से पुलिस कार्यप्रणाली से संबंधित छह विषयों पर इन्टर्नस् से शोध कार्य करवाया गया है। इसके साथ ही नव नियुक्त पुलिस उप निरीक्षक एवं कानिस्टेबलों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई है। इसके साथ ही "Online Safety and Police Response to Cyber Crimes" थीम पर रक्षिण का प्रकाशन करवाया गया है, जिसमें इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित किए गए है।

राजस्थान पुलिस अकादमी के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को ध्यान मे रख कर अकादमी को सर्वश्रेष्ठ स्तर पर बनाए रखने हेतु समग्र प्रयास निरन्तर जारी रहेंगें।

जय हिन्द

राजीव शर्मा
निदेशक

पुलिस शहिद दिवस पर शहिदों को श्रद्धासुमन

कर्तव्य पालन में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी के शहीद स्मारक पर दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में महानिदेशक पुलिस श्री एम एल लाठर का सम्मान गार्ड द्वारा अभिवादन किया गया। तत्पश्चात् पुलिस महानिदेशक महोदय ने पिछले एक वर्ष के दौरान कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले केन्द्रीय पुलिस बलों एवं राज्य पुलिस बलो के शहीदों के नामों का वाचन कर उनका स्मरण किया। इसके बाद महानिदेशक पुलिस श्री एम एल लाठर एवं सेवानिवृत पुलिस महानिदेशक श्री ओ.पी. गल्होत्रा, ए.डी.जी ट्रेनिंग श्री सचिन मितल, संयुक्त निदेशक आई0बी श्री विवेक ठाकुर व एसपी सीबीआई श्री विवेक प्रियदर्शी एवं अराजपत्रित अधिकारी श्री मदन सिंह, राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा एवं पुलिस आयुक्त जयपुर श्री आनन्द श्रीवास्तव ने पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। समारोह में मौजूद पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को स्मरण कर नमन किया। इस अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित राजकीय अस्पताल में रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया जिसमें राजस्थान पुलिस अकादमी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों, प्रशिणार्थियों ने रक्तदान किया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अधिकारियों व कर्मचारियो के श्रमदान किया। पुलिस महानिदेशक श्री एम एल लाठर ने रक्तदान करने वालों की राजकीय अस्पताल जाकर हौसला अफजाई की।

भारतीय पुलिस सेवा के चार अधिकारियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण कोर्स

राजस्थान पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के चार अधिकारियों को चार सप्ताह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया गया। नवनियुक्त आई.पी.एस ऑफिसर्स को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा राजस्थान राज्य में अपराध की चुनौतियों तथा राज्य की कानून व्यवस्था स्थिति की जानकारी दी। इसके साथ ही इन अधिकारियों को राजस्थान के स्थानिय कानूनों, नियमों तथा प्रक्रियों की भी जानकारी दी गयी। इस प्रशिक्षण में निम्नांकित प्रशिक्षु अधिकारियों ने भाग लिया।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पिता का नाम	शैक्षणिक योग्यता	पद	निवास स्थान
1.	श्री सुशील कुमार	श्री गणपत राम	Post Graduate	I.P.S	खीदरल तह. बाप जिला जौधपुर, राजस्थान
2.	श्री मनीष कुमार चौधरी	श्री रविन्द्र सिंह	Graduate	I.P.S	गांव गोकुलपुरा, सीकर
3.	श्री अभिषेक शिवहरे	श्री बी.डी.शिव हरे	Graduate	I.P.S	पारस प्रलग, कुबेरंज, शंकर बाजार, करवे उत्तर प्रदेश
4	श्री सुजीत शंकर	श्री उमेश झा	Graduate	I.P.S	जाजुर, मुजफ्फरपुर, बीहार

Multi Stakeholder Consultation on Cyber Crime Prevention and response with Special Focus on Financial Cyber Crime in Rajasthan

राजस्थान में वित्तीय साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ साइबर अपराध की रोकथाम और प्रतिक्रिया पर एक बहु–हितधारक परामर्श का आयोजन किया गया। परामर्श का आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में 12 अक्टूबर, 2021 को आरपीए, यूनिसेफ और साइबर पीस फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। परामर्श का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना और बढ़ते साइबर अपराधों, ऐसे अपराधों की प्रकृति, उनके तौर–तरीकों और व्यावहारिक हस्तक्षेपों के माध्यम से इसका मुकाबला करने की रणनीतियों पर बातचीत करना था। परामर्श में पुलिस कमिश्नरेट जयपुर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, विभिन्न पुलिस जिलों के साइबर सेल, SIUCAW, आतंकवाद विरोधी दस्ते, विशेष संचालन समूह, फेडरल बैंक, सिटी बैंक, साइबर पीस फाउंडेशन, यूनिसेफ– राजस्थान, के 41 प्रतिभागियों ने भाग लिया व राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (आरएससीपीसीआर, जयपुर), अरावली एनजीओ, पेटीएम पेमेंट बैंक, एक्सिस बैंक, एयरटेल, डी.बी.एस के अधिकारी भी इस चर्चा में शामिल हुये। यह चर्चा साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति, अपराधों की प्रकृति, ऐसे अपराधों से निपटने के तरीकों पर केंद्रित रही।

उद्घाटन उद्बोधन में श्री. अशोक कुमार राठौर (आईपीएस), एडीजीपी (एटीएस और एसओजी), राजस्थान ने पुलिस और बैंकिंग प्रणाली की ओर से समय पर कार्रवाई करके पीड़ित को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जागरूकता फैलाने, साइबर अपराधों को रोकने के लिए रिपोर्ट किए गए अपराधों को दर्ज करने की आवश्यकता पर बल दिया।

लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) राजेश पंत, नेशनल साइबर सुरक्षा, समन्वयक, पीएमओ, भारत सरकार ने साइबर अपराधों और केंद्रीकृत बैंकिंग सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड आदि में उभरती प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा की।

श्री दिगंत आनंद (आईपीएस), डीसीपी–क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर ने राजस्थान में साइबर–अपराध

परिदृश्य और संबंधित संस्थागत ढांचे और प्रतिक्रिया का अवलोकन दिया। उन्होंने पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में साइबर अपराधों से संबंधित डेटा और अन्य राज्यों के यूटीएस की तुलना में राजस्थान की रैंकिंग साझा की। साइबर अपराध के प्रकार के साथ–साथ उनके साधन और कार्यप्रणाली को प्रस्तुत किया गया। .

श्री बिवाश चटर्जी, साइबर कानून और ई–साक्ष्य के विशेष लोक अभियोजक, सरकार पश्चिम बंगाल सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानूनी ढांचे पर अंतर्दृष्टि प्रदान की। श्री धीरज शर्मा– आरजेएस, संयुक्त सचिव आरएसएलएसए, राजस्थान उच्च न्यायालय ने वित्तीय साइबर अपराधों के विशेष संदर्भ में साइबर अपराध के मामलों के साक्ष्य परीक्षण के बारे में चर्चा की।

श्री (डॉ.) सी.बी. शर्मा, आईपीएस (सेवानिवृत्त) ने आईटी अधिनियम और इसके विभिन्न प्रावधानों पर भी विचार–विमर्श किया उन्होंने सुझाव दिया कि बैंकों को ऑनलाइन सुरक्षा और जनता के कल्याण के लिए उचित सुरक्षा प्रथाओं को विकसित और अपनाना चाहिए। समापन सत्र में श्री. कैलाश चंद्र, डीआईजी, राजस्थान पुलिस अकादमी ने साइबर अपराध का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए सामूहिक, बहुआयामी और बहु–हितधारक प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया, उन्होंने कानून के संयुक्त क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया। प्रवर्तन और अन्य हितधारकों को साइबर अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने और उनका जवाब देने के लिए, साथ ही सतर्क रहने और व्यक्तिगत साइबर स्वच्छता का अभ्यास करने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया।

Mid Career Training Programme

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 13.12.21 से 17.12.21 तक पांच दिवसीय Mid Career Training Programme आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 8–15 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के 28 अधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में पुलिस महानिदेशक श्री मोहन लाल लाठर ने सभी प्रतिभागी अधिकारियों को अपने अनुभव का लाभ अपने अधीनस्थों को देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंनें आने वाले समय में तकनीक के प्रयोग को अपनाने और इसके साथ अपराध अनुसंधान के परम्परागत तरीकों में सामंजस्य बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आन्तरिक सुरक्षा, सडक सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन, कानून व्यवस्था, अपराध अनुसंधान जैसे पुलिस के विषयों के साथ साथ नेतृत्व एवं संचार कौशल, नवाचार को प्रोत्साहन, मानव संसाधन प्रबन्धन, टीम निर्माण जैसे विषयों पर भी विषय विशेषज्ञों ने अपने अनुभव प्रतिभागियों के साथ साझा किए।

मानसिक स्वास्थ्य विषय पर मैनचेस्टर विश्वविधालय यू.के के प्रोफेसर डॉ विमल शर्मा ने प्रतिभागियों के साथ चर्चा करते हुए मानसिक स्वास्थ्य एवं इससे जुड़े विभिन्न कारकों पर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझ विकसित करने का प्रयास किया और सभी से अपने एवं अपने परिवार एवं कार्मिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर प्रकाश डाला।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध, डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा, सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक श्री डी. सी. जैन सहित ,पुलिस उप महानिरीक्षक सीआईडी (सीबी) जयपुर श्री राहुल प्रकाश, पुलिस उप महानिरीक्षक एसओजी जयपुर श्री शरत कविराज व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में महानिदेशक एसीबी राजस्थान श्री भगवान लाल सोनी पधारे जिन्होंने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त किए गए अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उन्होंनें प्रतिभागियों से अपने अनुभव साझा किए व सभी प्रतिभागियों को प्रतिभागी प्रमाण पत्र प्रदान किए।

कोटा में रेंज स्तरीय बाल सरंक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक 24.11.2021 से 26.11.2021 तक राजस्थान पुलिस अकादमी तथा यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में कोटा पुलिस लाईन स्थित सभागार में तीन दिवसीय रेंज स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में कोटा रेंज के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, मानव तस्करी यूनिट के अधिकारियों, विशेष किशोर पुलिस इकाई के अधिकारियों, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ श्री कावेन्द्र सिंह सागर पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि बालक, भविष्य के नागरिक हैं जिन्हें विशेष अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके संरक्षण में माता–पिता से लेकर सभी संरचनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। श्री महेन्द्र कुमार दवे ए.डी.जे. भीलवाड़ा ने बच्चो को देश की सर्वोच्च निधि और देश के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए पुलिस अधिकारियों में बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों और विधि से सघर्षरत किशोर और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले अधिकारों के संबंध में कार्यवाही करते समय अपेक्षित संवेदनशीलता और विधिक प्रक्रियाओं के ज्ञान की आवश्यकताओं पर बल दिया जिससे बाल अधिकारियों संरक्षण हो और बालकों के विकास और कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण में विषय विशेषज्ञों ने बालकों के अधिकारों, उनके संबंध में नवीन कानूनों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी देते हुए विभिन्न हितधारकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय की आवश्यकता पर प्रतिभागियों के मध्य विस्तृत चर्चा हुई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में श्री विकास पाठक पुलिस अधीक्षक कोटा सिटी ने सभी हितधारकों से बालकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से नवीनतम कानूनों में दी गई प्रक्रियाओं के अनुरुप संवेदनशील होकर कार्य करने का आहवान किया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन राजस्थान पुलिस अकादमी की ओर से सहायक निदेशक श्री सौरभ कोठारी, पुलिस निरीक्षक श्री धीरज वर्मा, यूनिसेफ के कन्सलटेंट श्री विश्वास शर्मा एवं श्री अभिषेक तिवारी द्वारा किया गया ।

Training on Self Defense Techniques for Women PTI

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 25.10.2021 से 30.10.2021 तक महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों का Training on Self Defense Techniques for Women PTI विषय पर 06 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान कॉन्सिल फॉर एलीमेन्टरी एजुकेशन (आर.सी.ई.ई.) व राजस्थान पुलिस अकादमी के तत्वाधान में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 44 महिला शारीरिक प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ श्री अनिल राव अति. पुलिस अधीक्षक व सुनिल कुमार पुलिस उप अधीक्षक, आरपीए तथा श्रीमती देवायनी उप आयुक्त शिक्षा, जयपुर द्वारा किया गया।

श्रीमती सुनिता मीणा, अति. पुलिस अधीक्षक जयपुर द्वारा आत्मरक्षा इण्डोर और नियमित जीवन तकनीक, निर्भया स्क्वाड टीम, के बारे में बताया। श्रीमती देवयानी उप आयुक्त शिक्षा, जयपुर एवं श्रीमती सुनिता चौधरी, सहायक उप आयुक्त शिक्षा, जयपुर द्वारा रेंज और जिला स्तर पर प्रस्तावित प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रशिक्षण रणनीतियों पर साझा करने और चर्चा करने करने के बारे में व्याख्या्न दिया। यौन अपराधों से निपटने के लिए जीवन कौशल (किशोरावस्था लड़कियों के लिए 10 मुख्य जीवन कौशल पर चर्चा) पर अपने विचार व्यक्त किये।

श्री धीरज वर्मा पुलिस निरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी के द्वारा बालिकाओं और महिलाओं से संबंधित उभरते मुद्दे और महिला सुरक्षा से संबंधित कानून के बारे में चर्चा की। श्री मनोज रमन साइबर फोरेंसिक सलाहकार, आरपीए, जयपुर वेब पर बच्चों को सुरक्षित रखना, बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण से बचाना और सोशल मीडिया पर साइबर अपराधों से बचाव के बारे में चर्चा की। श्रीमती वंदना व्यासी सदस्य (आरएससीपीसीआर), जयपुर के द्वारा बाल अधिकार और बच्चों के संरक्षण से संबंधित मुद्दे लघु फिल्म कोमल और कहानी के बारे में बताया।

श्री बी.एस. शर्मा निदेशक (एसजेई) सरकार लड़कियों और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं के बारे जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में मुख्या अतिथि रानू शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर एवं डॉ रश्मिय शर्मा, आई.ए.एस;, पीडी शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए बधाई देते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐसे प्रयास उर्जा का संचार करते है। डॉ रश्मि शर्मा ने अपने उदबोधन में स्वयं में आत्मविश्वास जाग्रत करने और आत्मविश्वास में जीवन की समस्तं समस्यामओं का हल स्वालम्बन व सेल्फ डिफेन्स को अपने जीवन पर अपनाने पर जोर दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर निदेशक महोदय एवं विशिष्ट अतिथि ने प्रमाण पत्र व फोटो वितरित किये।

संस्था के चार अधिकारी पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा डी.जी.पी. डिस्क से सम्मानित

राजस्थान पुलिस अकादमी को वर्ष 2016–17 एवं 2019–20 हेतू राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी हेतू ट्रॉफी गृह मत्रांलय भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुई है। संस्था को यह सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पुलिस अधिकारियों को पुलिस महानिदेशक द्वारा पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति एवं डिस्क प्रदान कर सम्मान किया गया।

क्र.स.	नाम अधिकारी	पद
1	श्री मनीष अग्रवाल	उप निदेशक एवं प्राचार्य राजस्थान पुलिस अकादमी हाल पुलिस अधिक्षक जयपुर ग्रामीण
2	श्री सौरभ कोठारी	अति. पुलिस अधीक्षक हाल सहायक निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी
3	श्री धीरज वर्मा	पुलिस निरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी
4	श्रीमति वीणा कुमारी	कम्पनी कमाण्डर, राजस्थान पुलिस अकादमी

Basic sports rock / 3D wall climbing course

राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में दिनांक 5.10.2021 से 25.10.2021 तक Basic sports rock / 3D wall climbing course का आयोजन किया गया। जिसमें प्रतिभागी के रूप में राजस्थान के सभी ट्रेनिंग सेंटर के कॉनि व आर.पी.ए. के कॉनि. सदस्यों ने भाग लिया, कार्यक्रम का समापन अकादमी निदेशक श्री राजीव शर्मा जी द्वारा किया गया। इस 21 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुल 20 प्रशिक्षणार्थियो ने भाग लिया।

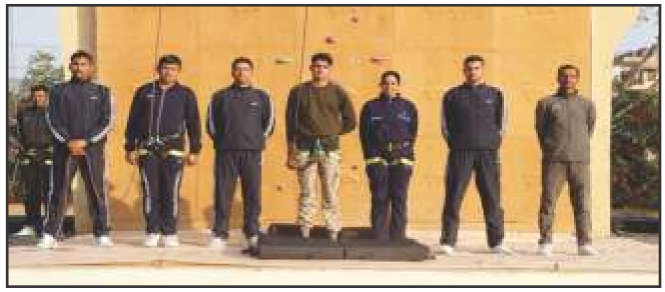

उप निदेशक एवं प्राचार्य के स्थानान्तरण पर विदाई समारोह

राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के उप निदेशक एवं प्राचार्य श्री मनीष अग्रवाल– द्वितीय (आई.पी.एस) का पदस्थापना पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण के पद पर होने के उपलक्ष्य पर श्रीमान निदेशक श्री राजीव शर्मा ,अति. निदेशक एंव समस्त सहायक निदेशक, आर.पी.ए जयपुर द्वारा दिनांक 16.11.2021 को विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

आर.पी.एफ कॉनि. रिक्रुट (बैण्ड) का व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स

.राजस्थान पुलिस अकादमी में आर.पी.एफ बैण्ड का व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स बैच संख्या 1/2021 दिनांक 10.02.2021 से 03.12.2021 तक आयोजित किया गया। जिसमें कुल 90 कॉनि. ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कुल 8 माह के प्रशिक्षण में आर.पी.एफ के कॉन्सटेबल गण को आउटडोर मे परेड व अन्य कार्यक्रम के साथ बैण्ड की धूनों व वाद्ययंत्रो का प्रशिक्षण दिया गया।

कॉनि. रिक्रुट का बेसिक प्रशिक्षण कोर्स

राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में नवनियुक्त रिक्रुट कॉनि. बैच संख्या 89/2021 का बेसिक प्रशिक्षण दिनांक 02.02.2021 से प्रारम्भ किया गया। 09 माह के गहन प्रशिक्षण के बाद श्री निदेशक महोदय द्वारा प्रशिक्षण में उत्कृष्ठ रहे प्रशिक्षणार्थियो को दिनांक 18.11.2021 को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को इन्डोर में भारतीय संविधान, मानव अधिकार, पुलिस संगठन, स्थानिय एवं विशेष अधिनियम, पुलिस कार्यप्रणाली, व्यक्तित्व विकास, कानून व्यवस्था कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं सी.सी.टी.एन.एस. प्रणाली की जानकारी दी गयी। आउट डोर में ड्रील, शस्त्र प्रशिक्षण एवं मस्केट्री, बलवा परेड, भीड़ नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया गया।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारीयों का सेवानिवृति समारोह

दिनांक 22.10.2021 को सेवानिवृति समारोह आयोजन किया गया। कोराना के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए अलग अलग समय सेवानिवृत हुये अधिकारियों का यह सामुहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक श्री मोहन लाल लाठर , वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, सेवानिवृत पुलिस अधिकारीगण तथा उनके परिवार के सदस्य उपस्थित हुए। इस अवसर पर निदेशक राजस्थान पुलिस श्री राजीव शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। सेवानिवृत हुये पुलिस अधिकारियों ने अपने सेवाकाल के अनुभव साझा किये। पुलिस महानिदेशक ने सभी अधिकारियों को सेवानिवृत जीवन में स्वस्थ रहने की कामना एवं नई पीढी को अपने अनुभवों से मार्गदर्शन देते रहने का आग्रह किया। सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों में श्री एन.आर. के. रेड्डी आई.पी.एस. तत्कालीन डी.जी. जेल , श्री राजीव दासोत आई.पी.एस तत्कालीन डी.जी जेल, श्री दिलीप कुमार आई.पी.एस तत्कालीन डी.आई.जी (ए.सी.बी), श्री औमप्रकाश दायमा आई.पी.एस तत्कालीन डी.आई.जी (SDRF), श्री किशोरी लाल मीणा आई.पी.एस तत्कालीन कमान्डेण्ड महाराणा प्रताप बटालियन चितौडगढ कार्यक्रम में शामिल हुए।

Cybercrime & Cyber law awareness programme for Judicial, Prosecuting officers & Police Officer

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के तहत दिनांक 18.12.2021 से 20.12.2021 तक तीन दिवसीय "Cybercrime & Cyber law awareness programme for Judicial & Prosecuting officers आयोजित किया गया। जिसमें 12 न्यायिक अधिकारियों, 12 अभियोजन अधिकारियों एवं 6 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा द्वारा किया गया। उन्होंने अपने उद्‌बोधन में बढ़ते साइबर अपराधों तथा उनके रोकथाम व जागरूकता के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रकार का अपराध करने वाले अपराधियों को सजा दिलाने के लिए न्यायिक अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के मध्य बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ऑनलाईन कैशलेस ट्रॉजेक्सन के बारे में जानकारी प्रदान कर डेबिट व क्रेडिट कार्ड, ई–वॉलेट, भीम एप, पेटीएम व एटीएम आदि के बारे में हैण्डसऑन सैशन करवाया गया। इसके साथ ही महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध हो रहे साइबर अपराधों की जानकारी दी जाकर इनकी रोकथाम एवं अनुसंधान के संबंध में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों के साथ चर्चा की गई।

पुलिस थानों में साइबर क्राईम एफआईआर के अनुसंधान हेतु पुलिस एप्स जैसे सीसीटीएनएस, राजकॉप, आईसीजेएस आदि के साथ–साथ थानों में आवश्यक साइबर क्राईम अनुसंधान टूल्स की जानकारी दी गयी।

अशोक बनाम मध्य प्रदेश राज्य नवम्बर 2021 उच्चतम न्यायालय

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के संबंध में

किशोर होने का दावा किसी भी अदालत में, किसी भी स्तर पर यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे.के माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि यदि न्यायालय अपराध करने की तारीख को किसी व्यक्ति को किशोर मानता है तो उसे उचित आदेश और सजा, यदि कोई हो , पारित करने के लिए किशोर को बोर्ड भेजना होगा, किसी न्यायालय द्वारा पारित कोई आदेश कोई प्रभाव नही रखेगा।

किशोर होने का दावा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष , जांच के दौरान , बालक न्यायालय के समक्ष अथवा अपील या पुनरीक्षण में भी उठाया जा सकता है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर यदि न्यायालय का पूर्णतः समाधान हो जाए कि किशोर अपराध के दिन किशोर था अर्थात 18 वर्ष से कम आयु का था तो मामले का परीक्षण किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ही किया जाएगा , भले ही उम्र की पुष्टि के कारण अन्य न्यायालय द्वारा उसका विचारण किया जा चुका हो।

तैजुद्दीन बनाम असम सरकार दिसम्बर 2021 उच्चतम न्यायालय

भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 149 के संबंध में

उच्चतम न्यायालय ने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति की दोषसिद्वी को रद्द करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को महज इसलिए विधि विरूद्व जमाव का सदस्य (हिस्सा) नही माना जा सकता कि उसने हत्यारी भीड़ को पीड़ित का ठिकाना बताया था। उस व्यक्ति को गैर कानूनी भीड के सामान्य उद्देश्य का साझेदार नही माना जा सकता।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने यह कहते हुए आगाह किया कि अदालतो को अपराध के सामान्य उद्देश्य को साझा करने के लिए अपराध के केवल निष्क्रिय दर्शकों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के माध्यम से दोषी ठहराने की प्रवृति से परहेज करना चाहिए

भारतीय दण्ड संहित की धारा 149 सामान्य उद्देश्य के आधार पर विधि विरूद्व जमाव के सदस्यों का दायित्व निधारित करती है। यदि विधि विरूद्व जमाव के किसी सदस्य द्वारा अथवा सम्पूर्ण जमाव द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कोई अपराध किया जाता है तो हर व्यक्ति जो उस जमाव का उस समय सदस्य था उस अपराध के लिए संयुक्त रूप से दायी होगा। पीडित का ठिकाना बताने वाला व्यक्ति, विधि विरूद्व जमाव के सदस्य की श्रेणी में नही आता। अतः वह ऐसे दायित्व से मुक्त रहेगा।

If You Want Peace,
Work For Justice

राजस्थान पुलिस अकादमी में नवीनतम पुस्तको का प्रकाशन

Sr. No.	Subject	Writer
1.	Cybercrime	Dr. Arjun Singh, Associate Professor, School of Computing & IT Manipal University, Jaipur
2.	Online Safety and Role of Police – Myriad challenges call for radical interventions?	Ranjeet Rane, Technology Policy Researcher and Varun Menon, Associate, Reserve Bank Innovation Hub (RBIH)
3.	Frauds in Cyber Space – Knowledge and Mitigation Strategies	Dr. Rajveer Singh Shekhawat, Dean, Faculty of Engineering & Director, School of Computing & IT, Manipal University, Jaipur
4.	Cyber - Sextortion/Catfishing – an evolving form of Cyber - Crime in Mewat region. Understanding the need for a multi-agency concerted effort to counter the menace.	Tejaswani Gautam IPS, S.P. Alwar and Vikas Sangwan IPS, ASP, (North), Alwar
5.	Online Gender Based Violence during Covid-19 Lockdown – A Longitudinal Study	Dr. Amrita Duhan IPS, S.P., Pratapgarh (Rajasthan)
6.	Vulnerability of Cyberspace	Ranjeeta Sharma, IPS, Astt. Superintendent of Police, Jodhpur
7.	Deepfakes and Detection Mechanisms During COVID 19	Dr. Ananth Prabhu G, Dr. Anush Bekal, Harisha K, Sahyadri College of Engineering & Management, Mangaluru, Karnataka
8.	Tools for Law Enforcement for Monitoring Tor Traffic	Dr. Emmanuel S. Pilli and Pulkit Chandel Department of Computer Science & EngineeringMalviya National Institute of Technology, Jaipur
9.	Book Review: Essentials of Online payment security and Fraud Prevention	Digant Anand, IPS, DCP (West), Jodhpur Commissionarate

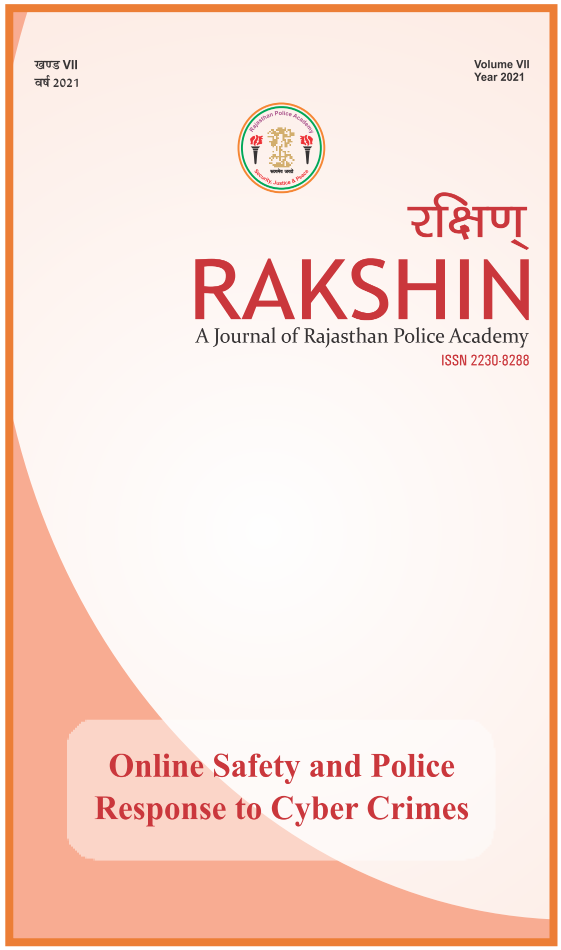

दिनांक 1.10.2021 से दिनांक 31.12.2021 तक आयोजित किए गए बेसिक प्रशिक्षण कोर्सेज

क्र.सं.	कोर्स का नाम	बैच संख्या	कोर्स प्रारम्भ होने की दिनांक	कोर्स पूर्ण होने की दिनांक	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	आई0पी0एस0(प्रोबे0) 4 सप्ताह का प्रशिक्षण	73	20.12.2021	15.01.2021	04
2.	उप निरीक्षक (प्रोबे0) प्रारम्भिक प्रशिक्षण कोर्स	48	04.10.2021	02.08..2022	215
3.	उप निरीक्षक (प्रोबे0) फाउण्डेशन प्रशिक्षण कोर्स	02	25.10.2021	26.12.2021	47
4.	कानि0 रिक्रूट (बैण्ड) 8 माह का व्यवसायिक प्रशिक्षण कोर्स पु–1	17	01.03.2021	31.10.2021	01
5.	कानि0 रिक्रूट का प्रारम्भिक प्रशिक्षण पु–34, म–2	89	08.02.2021	07.11.2021	36
6.	आरपीएफ कानि (बैण्ड), 8 माह का व्यवसायिक प्रशिक्षण कोर्स	01	10.02.2021	30.11.2021	90
7.	कानि0 रिक्रूट (घुडसवार) 06 माह का व्यवसायिक प्रशिक्षण कोर्स पु–1	08	10.05.2021	09.11.2021	01
8.	रिक्रूट कानि0 का प्रारम्भिक प्रशिक्षण	90	23.08.2021	22.05.2022	90
9.	कानि. रिक्रूट(बैण्ड) 4 माह का आधारभूत प्रशिक्षण कोर्स	91	11-10-2021	10-02-2022	02
	total				486

दिनांक 1.10.2021 से दिनांक 31.12.2021 तक आयोजित किए गए पदोन्नति प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	बैंच संख्या	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षणार्थियो की पदवार संख्या	कुल योग
1	सहायक उप निरीक्षक से उपनिरीक्षक पीसीसी	53	04.10.2021	26.11.2021	20
2	हैड कानि से उपनिरीक्षक(घुड़सवार) पीसीसी	03	27.09.2021	29.11.2021	01
3	हैड कानि से सहायक उपनिरीक्षक पीसीसी	59	04.10.2021	26.11.2021	212
4	कानि से हैड कानि (बैण्ड) पीसीसी	12	21.06.2021	02.11.2021	03
5	कानि0 से हैड कानि0 (बैण्ड)	13	13.12.2021	19.4.2021	08
	total				244

दिनांक 1.10.2021 से दिनांक 31.12.2021 तक आयोजित किए गए विशिष्ठ कोर्सेज

क्र.स	कोर्स का नाम	प्रशिक्षणार्थियो की पदवार संख्या	कुल
01	Cyber Crime and CDR Analysiss	SI-2 ,ASI -4 HC-11 FC -62 MALE - 79	79
2	Investigation of Cases under POCSO Act 2012	DY.SP-1,CI-9, SI-19 MALE-17 , FEMALE-2	29
3	Cyber Crime Investigation for LEA	CI-23, SI-69 MALE-94, FEMALE-22	116
4	Gender Sensitization for Transgender Rights and Protection	CI-17 , SI-24 MALE-29 FEMALE-12	41
5	Multi Stakeholder Consultation on Cyber Crime Prevention and response with Special Focus on Financial Cyber Crime in Rajasthan	ADD.SP- 3, DY.SP-2, CI-8,SI-7 OTHERS-21 MALE-37 FEMALE-4	41
6	Cyber Crime Awareness for Judges and PP **(CCPWC)**	JUDGES-12, PP- 12, IO-6 MALE-24,FEMALE-6	30
7	Improvement in Police Behaviour	CI-4, SI- 14 MALE-18	18
8	Training of Investigators on Women's Safety (BPR&D)	DY.SP-3, C.I-9, S.I-34 MALE-43 FEMALE-3	46
9	Course on Working of Adarsh Police Station	CI-38, SI-29, HC-68 MALE-133 , FEMALE- 2	135
10	Self Defence (Edu. Deptt.)	FEMALE-71	71
11	One day Webinar on “Online Safety and Protection of Children” (UNICEF) Online mode	----	200
12	Training Course on TOT for Computer Instructors	CI-4,S.I-8,HC-3,FC-16 MALE-18 FEMALE-3	21

क्र.स	कोर्स का नाम	प्रशिक्षणार्थियो की पदवार संख्या	कुल
13	One day Training on “official Dealings between Police Officers and Honorable Members of Parliament and State Legislatures-Observance of Proper Procedure	ADD.SP-1, DY.SP-4, CI-5, S.I-9 MALE-18 FEMALE-1	19
14	भवनों की मरम्मत कार्यो के पर्यवेक्षण	ASI -1,HC-6 ,FC-14 MALE -11, FEMALE- 10	21
15	सीमा शुल्क एवं जीएसटी विभाग के हथियार प्रशिक्षण	HC-37 MALE-36 ,FEMALE-1	37
16	TOT for Sports Rock 3D wall Climbing	HC-1,FC-19 ,MALE-18 FEMALE-2	20
17	Mid - Career Training Programme for RPS Officers	DY.SP MALE-20 FEMALE-9	29
18	State LevelConference for Police Officers and other stakehoderson Child Protection Related Issues Online	--	58
19	Webinars for different stake holders online	---	100
20	Ensuring online safety for children and adolescents	DY.SP-5,CI-13,SI-2,ASI-3, FC-1 MALE-20 FEMALE-4	24
21	Police officers and other stake holder on child protection related issues	Add.SP-2 , DY.SP- 2,CI- 3,SI-7, ASI-34 ,HC-1 OTHERS- 9 MALE-48, FEMALE-1	49
		total	1184

Editorial Board

Editor in Chief
Rajeev Sharma, IPS, Director

Editor
Dheeraj Verma, Inspector

Members
Sh. Kailash Chandra, DIG
Sh. Bhupendra Yadav, AD
Sh. Rewant Dan, AD
Sh. Anil Rao, AD
Sh. Saurabh Kothari, AD
Smt. Seema Hingonia, AD
Sh. Vidhya Prakash, AD
Smt. Saroj Kumawat, SI

Photograph by : Sagar

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph. : +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : dirrpa@gmail.com Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Premier # 0141-2295097